IX

वित्तीय प्रबंधन

9.1 निधीयन-स्वरूप

स.बा.वि.रो. योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/ सं.शा.क्षे. प्रशासन को निधियाँ दो शीर्षों अर्थात स.बा.वि.से. (सामान्य (स)) तथा अनुपूरक पोषण (अ.पो.) के अंतर्गत प्रदान की जानी थी (निधीयन स्वरूप इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 1.5 में दिए गए हैं)। मंत्रालय, राज्यों, द्वारा त्रैमासिक/वार्षिक व्यय विवरण (व्य.वि.) तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत किए जाने के तहत वर्ष में चार अथवा अधिक किस्तों में अनुदान जारी करता है। प्रथम दो किस्ते संकेतिक आधार (मानदण्डों, लाभार्थियों की संख्या, परिचलनात्मक परियोजनाओं तथा परिचलनात्मक आं.के. पर अधारित) पर जारी की जाती है। अनुवर्ती किस्तें 30 जून तथा 30 सिंतबर को व्य.वि. तथा पिछले वर्ष के व्य.वि. के आघार पर जारी की जाती है।

9.2 स.बा.वि.से. (अनुपूरक आहार)

9.2.1 व्यय विवरणी (व्य.वि.) तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) का गैर-प्रस्तुतीकरण अथवा विलम्बित प्रस्तुतीकरण

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/स.शा.क्षे. को सबंधित वित्तीय वर्ष 31 जुलाई तथा 31 अक्तूबर तक अनुदानों की प्रथम तथा दूसरी किस्त (जो संकेतिक आधार पर जारी की गई है) के संबंध में व्य.वि./ उ.प्र. प्रस्तुत करना अपेक्षित है। तीसरी तथा चौथी किस्तें पिछले निर्गमों के प्रति व्यय आंकड़ों को ध्यान में रखने के पश्चात जारी की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के अ.आ. घटक के संबंध में व्य.वि./उ.प्र. की राज्यों/ सं.शा.क्षे. द्वारा मंत्रालय को नियमित रूप से नहीं भेजा जा रहा था। 28 राज्यों को निधियां जारी करने के संबंध में मंत्रालय में अभिलेखों के विश्लेषण ने प्रकट किया 2006-11 की अवधि के दौरान बकाया 560 त्रैमासिक व्य.वि./उ.प्र. में से 150 (27 *प्रतिशत*) व्य.वि./उ.प्र. मंत्रालय में प्राप्त नहीं किए गए थे। इस प्रकार, योजना के भौतिक तथा वित्तीय संकेतको पर आवधिक प्रगति पर मंत्रालय के पास अधूरी सूचना थी जिसने मंत्रालय द्वारा मॉनीटारिंग को अप्रभावी प्रकट किया।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 410 त्रैमासिक व्य.वि./उ.प्र. जो मंत्रालय मे प्राप्त किए गए थे, में से 360 को 10 दिनों से लेकर 200 दिनों के विलम्ब से प्राप्त किया गया था। राज्यों द्वारा व्य.वि. के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का परिणाम मंत्रालय द्वारा राज्यों को अ.आ. हेतु निधियों के विलम्बित निर्गम में हुआ।

यह पाया गया कि 2006-11 की अवधि के दौरान बकाया 140 वार्षिक व्य.वि. में से 55 (39 *प्रतिशत*) व्य.वि. मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, ऐसे मामलों में निधियों की

पात्रता को पिछले वर्ष की चौथी तिमाही के व्यय विवरण (व्य.वि.) के ब्यौरों के आधार पर परकलित किया गया था। व्य.वि. की अप्राप्ति अथवा व्य.वि. की देरी से प्राप्ति के ब्यौरे **अनुबंध 9.1** में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने मंत्रालय स्तर पर राज्यों को निधियाँ जारी करने में विलंब पाया। 2010-11 के दौरान 29 नमूना जाँच किए राज्यों के संस्वीकृति पत्रों का विश्लेषण व्य.वि. की प्राप्ति की तिथि तथा मंत्रालय द्वारा संस्वीकृति पत्रों को जारी करने की तिथि के आधार पर किया गया था। 2010-11 के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी 36 संस्वीकृति पत्रों में से 10 को प्रथम दो किस्तों को जारी करने तथा शेष 26 को वर्ष की अंतिम दो किस्तों (अर्थात III तथा IV) के निर्गम हेतु जारी किया गया था। यह देखा गया था कि राज्य सरकार से अनिवार्य व्य.वि./उ.प्र. की प्राप्ति के पश्चात III तथा IV किश्तों के लिए निधियाँ जारी करने हेतु मंत्रालय द्वारा लिया गया समय 20 से 141 दिनों के बीच था। निधियों को जारी करने हेतु मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर लिये गये समय का ब्यौरा **अनुबंध 9.2** में दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2012) कि निधियों को जारी करने में विलम्ब प्राथमिक रूप से राज्यों/ सं.शा.क्षे. से व्य.वि. की विलम्बित प्राप्तियों के कारण हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निधियों को जारी करने में विलम्ब केवल व्य.वि. की विलम्बित प्राप्ति को ही नहीं बल्कि तीसरी तथा चौथी किस्त जारी करने हेतु मंत्रालय द्वारा उनके संसाधन में विलम्बों को आरोपणीय था।

9.2.2 व्यय विवरण (व्य.वि./उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.) जो यथार्थ तथा सही आंकड़े नहीं दर्शाते

2006-11 के दौरान राज्यों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक व्य.वि./उ.प्र. की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि राज्य द्वारा प्राप्ति के रूप में दर्शायी राशि तथा वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा वास्तव में जारी राशि में मेल नहीं था। यह, मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष के अव्ययित शेष/अधिक व्यय से समायोजन के कारण हुआ, जिसे राज्यों को सूचित नहीं किया गया था। इसके कारण, समायोजित राशि को राज्य द्वारा उ.प्र. में दर्शाया नहीं गया था। पाए गए मामलों को **अनुबंध 9.3** में दिया गया है। तथापि, यह देखा गया था कि मंत्रालय ने वार्षिक व्य.वि./उ.प्र. की जाँच करते समय विसंगति पर ध्यान नहीं दिया था। यह दर्शाता है कि मंत्रालय ने व्य.वि./उ.प्र. को जांच करने में लापरवाही की थी।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि इसने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को निधियों को जारी करने हेतु पर्याप्त श्रमशक्ति के माध्यम से प्रणाली में सुधार लाने हेतु दर्ज कर लिया था।

अनुशंसा

- ***मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियों की वास्तविक निर्गम तथा वास्तविक व्यय हेतु राज्यों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं।***

9.3 स.बा.वि.से. (सा.)

योजना के अनुसार, मंत्रालय द्वारा राज्य प्रकोष्ठ, जिला प्रकोष्ठ तथा परियोजनाओं के कर्मचारियों के वेतनों हेतु निधियाँ वास्तविक आधार पर जारी की जानी थी तथा आ.का./आ.स. को मानदेय, अन्य घटकों जैसे कि पेट्रोल तेल एवं स्नेहकों, आकस्मिताओं, मॉनीटरिंग, किराया ,औषधि किट, स्कूल पूर्व किट, सूचना शिक्षा एवं संचार, लचीली निधियों तथा वर्दियों हेतु स्वीकृत वित्तीय मानदण्डों के अनुसार प्रदान किया जाना था।

9.3.1 वेतनों के भुगतान हेतु अवास्तविक बजटीकरण

राज्य प्रकोष्ठ, जिला प्रकोष्ठ तथा परियोजनाओं की परिचलनात्मक लागत को पूरा करने हेतु निधियों की आवश्यकता को निम्नलिखित दर प्रतिवर्ष पर पूर्ण स्वीकृत कर्मचारी संख्या की कल्पना करते हुए परिचलनात्मक परियोजनाओं के स्टाफ हेतु निर्धारित दरो पर परकलित किया गया है:

राज्य स.बा.वि.से. प्रकोष्ठ :	₹ 9.6 लाख (अप्रैल 2009 से ₹ 34.08 लाख)
जिला कार्यक्रम कार्यालय:	₹ 9 लाख (अप्रैल 2009 से ₹7.8 लाख)
परियोजना कार्यालय :	₹ 13.14 लाख

2008-11 की अवधि के दौरान, राज्य प्रकोष्ठों, जिला प्रकोष्ठों तथा परियोजनाओं में स्टाफ के वेतनों हेतु ₹1,753 करोड़ जारी किए गए थे। जिसके प्रति, राज्यों ने ₹ 2,853 करोड़ का उपयोग सूचित किया। वर्ष-वार ब्यौरा तालिका 9.3 में दिया गया है (राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध 9.4** में दिए गए हैं)।

तालिका 9.3: स्टाफ वेतनों पर जारी निधियाँ तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शामिल राज्यों की सं.	जारी निधियां	वास्तविक व्यय	निधियाँ जारी करने में कमी	प्रतिशतता कमी
2008-09	13	516.53	748.61	232.08	44.93
2009-10	15	609.54	996.25	386.71	63.44
2010-11	15	626.45	1108.13	481.68	76.89
कुल		**1752.52**	**2852.99**	**1100.47**	**62.79**

इस प्रकार, वास्तविक व्यय राज्यों को वेतन घटक पर मंत्रालय द्वारा जारी निधियों से 45 से 77 *प्रतिशत* तक अधिक था। इस तथ्य के बावजूद कि परिचलनात्मक परियोजनाओं हेतु संस्वीकृत पदो में से 20 से 40 *प्रतिशत* पद रिक्त पड़े थे, वेतन पर अधिक व्यय किया गया था। यह दर्शाता है कि मंत्रालय द्वारा जारी निधियों का निर्धारण वास्तविक ढ़ग से नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि 2006-11 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में जनवरी 2006 से अपने कर्मचारियों के वेतन को संशोधित किया। इसका परिणाम इन वर्षों हेतु बड़े बकायों के भुगतान में हुआ। वर्ष 2011-12 से, निर्देशात्मक आवश्यकताओं को लेते समय वेतन पर वास्तविक व्यय को

ध्यान में रखा गया है। मंत्रालय ने आगे बताया (अक्तूबर 2012) कि वेतन के अंतर्गत निधियों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों ने अन्य घटकों जैसे कि औषधि किट का प्रापण, आं.के. को लचीली निधि प्रदान करना, स्कूल पूर्व शिक्षा किट का प्रापण तथा सूचना शिक्षा एवं संसार (सू.शि.सं.) हेतु उनको जारी निधियों का विपणन किया (उन घटकों पर व्यय में कमी को इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4.5, 4.6, 7.3 तथा 8.1.1 में इंगित किया गया है)।

इस प्रकार, मंत्रालय योजना के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता का निर्धारण करते समय वेतन हेतु निधियों की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण करने तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के प्रभाव को ध्यान में रखने में विफल रहा। इसका परिणाम योजना के अन्य घटकों पर व्यय में कमी में हुआ, जिसने योजना के अंतर्गत सेवाओं की सुपुर्दगी की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

9.3.2 निधियों का अधिक निर्गम

9.3.2.1 अव्ययित शेष का लेखाबद्ध न किया जाना

2006-11 की अवधि के लिए निधियों को जारी करने से संबंधित फाइलों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि राज्यों के पास उपलब्ध पिछले वर्ष के अव्ययित शेष को अगले वर्ष हेतु निधियाँ जारी करते समय मंत्रालय द्वारा उचित रूप से ध्यान में नहीं रखा गया था। यह झारखण्ड को निधियों के अधिक निर्गम (2011-12 में ₹13.64 करोड़) का कारण बना। इसी प्रकार के मामले में, वर्ष 2008-09 के दौरान हरियाणा द्वारा किए गए ₹ 11.15 करोड़ के अधिक व्यय की मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 2009-10 हेतु निधियाँ जारी करते समय अनुचित रूप से प्रतिपूर्ति की गई थी।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि वर्ष 2011-12 हेतु तथा 2012-13 की प्रथम तिमाही के लिए झारखण्ड के व्यय विवरण (व्य.वि.) की जाँच के पश्चात ₹96.19 करोड़ की राशि 01 अप्रैल 2012 को राज्य सरकार के पास अव्ययित शेष के रूप में पाई गई थी जिसे तीसरी तिमाही के निर्गम में समायोजित किया गया था।

हरियाणा के मामले में मंत्रालय ने बताया कि राज्य को तीसरी किस्त हेतु निर्गम का परिकलन करते समय ₹11.15 करोड़ के रूप में सूचित अधिक व्यय ₹720.90 लाख तक घट गया था तथा तदनुसार तीसरी तिमाही को निर्गम की गई थी। इस प्रकार, विसंगतियों का 2009-10 में तीसरी किस्त जारी करते समय निपटान किया गया था। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इसने राज्य द्वारा सूचित अधिक व्यय का दो बार समायोजन किया था।

9.3.2.2 अतिरिक्त परियोजनाएं तथा आं.के. को प्रारम्भ करने हेतु राज्यों को ₹37.53 करोड़ के व्यय की अधिक प्रतिपूर्ति

स.बा.वि.से योजना के विस्तार के दौरान, सभी राज्यों/स.शा.क्षे. को तीन चरणों में अतिरिक्त परियोजनाओं तथा आं.के. की संस्वीकृति दी गयी थी। अतिरिक्त परियोजनांए तथा आं.के. को प्रारम्भ करने हेतु एक परियोजना तथा आंगनवाडी केन्द्र (आं.के.) की स्थापना के लिए क्रमशः ₹ 91,700 तथा ₹ 5,000 (1.4.2009 से ₹ 1,50,000 तक बढ़ा दी गई थी) की दर पर गैर-आवर्ती अनुदान सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. को प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत किया था।

मंत्रालय में उपलब्ध वर्ष 2006-11 हेतु वार्षिक व्यय विवरण (व्य.वि.) की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि चार राज्यों ने अतिरिक्त परियोजनाओं तथा आं.के. को स्थापित करने के कारण मानदण्डों से परे जाकर, जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है, ₹ 37.53 करोड़ की राशि के अधिक व्यय का दावा किया:

तालिका 9.4: नए आं.के. की स्थापना पर अधिक प्रतिपूर्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य	संस्वीकृत परियोजनाओं की सं.	संस्वीकृत आं.के. की सं.	मानदण्डों के अनुसार परियोजनाओं /आं.के. की स्थापना हेतु अपेक्षित निधियां	प्रतिपूर्ति की गई वास्तविक राशि	अधिक प्रतिपूर्ति
असम	12	36737	17.65	49.69	32.04
नागालैंड	5	685	0.41	4.65	4.24
मिजोरम	6	619	0.39	0.85	0.46
तमिलनाडु	शून्य	11762	4.89	5.68	0.79
कुल	**23**	**49803**	**23.34**	**60.87**	**37.53**

इस प्रकार, मंत्रालय वित्तीय मानदण्डों के अनुसार राज्यों द्वारा सूचित व्यय को सीमित करने में विफल रहा जो अधिक प्रतिपूर्ति का कारण बना।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि अभ्युक्तियों को राशि की प्रतिपूर्ति/ समायोजन सहित शोधन उपायों हेतु संबंधित राज्यों के साथ उठाया जाएगा।

अनुशंसा

- ***मंत्रालय ने निधियों की आवश्यकता का यर्थाथ निर्धारण करे जिससे राज्यों के पास न्यूनतम अव्ययित शेष को सुनिश्चित किया जा सके तथा अधिक व्यय से बचा जा सके।***

9.4 अन्य वित्तीय अनियमितताएं

9.4.1 निधियों का विचलन

राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच ने 2006-11 के दौरान कुल ₹57.82 करोड़ की निधियों के अनियमित विचलन के निम्नलिखित उदहारणों को उजागर किया:

- हरियाणा में, अ.आ. हेतु प्राप्त ₹38.6 करोड़ को 2006-11 के दौरान लाडली योजना, आं.का/आं.स. को मानदेय का भुगतान तथा नए आं.के हेतु फर्नीचर की खरीद के लिए विपणन किया गया था।
- उत्तर प्रदेश में, वर्ष 2008-09 के दौरान, सूचना शिक्षा तथा संचार (सू.शि.स.) कार्यों हेतु प्राप्त ₹1.00 करोड़ का प्रचार तथा पैम्फलैट एवं आवेदन पत्रों के मुद्रण हेतु राज्य प्रायोजित योजना "महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना" को विचलित किया गया था। अन्य मामले में, वर्ष 2010-11 के दौरान सू.शि.सं. कार्यो हेतु प्राप्त ₹6.08 करोड़ का जि.का.का/बा.वि.प.का. कार्यालयों हेतु कम्प्यूटरों की खरीद के लिए विचलन किया गया था।
- ओडिशा में 2006-10 की अवधि के दौरान ₹1.41 करोड़ की राशि का विभिन्न उद्देश्यों जैसे पेंशन का भुगतान, वाहन किराया प्रभारों तथा अन्य आकस्मिक व्ययों हेतु विचलन किया गया था।
- कर्नाटक में, कुल ₹1.10 करोड़ की निधियों का फर्नीचर की खरीद तथा जिला पंचायत में कार्यरत स.बा.वि.से. स्टाफ के वेतन के भुगतान हेतु तीन जिलों में बाल विकास परियोजना अधिकारी (बा.वि.प.अ.) उप. निदेशको द्वारा 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान विचलन किया गया था।
- राजस्थान में मानदेय के बकायों के भुगतान हेतु वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त ₹43.07 करोड़ की राशि में से ₹9.63 करोड़ को स.बा.वि.से. (सा.) के अन्य मदों के लिए विचलन किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि अभ्युक्तियों को राशि की प्रतिपूर्ति/समायोजन सहित शोधक उपायों हेतु संबंधित राज्यों के साथ उठाया जाएगा।

अनुशंसा

- ***राज्यों/सं.शा.क्षे. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियों का उपयोग दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है तथा योजना निधियों के विचलन के कोई मामले नही है।***

9.4.2 निधियों को रखना

पांच नूमना राज्यों में, ₹70.11 करोड़ को सिविल जमाओं/निजी बही खातों/बैंक खातो/सरकारी खातो में रखा गया था। इसका परिणाम न केवल निधियों के अवरोधन में

हुआ बल्कि इसने योजना कार्यान्वयन को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। मामलों का नीचे ब्यौरा दिया गया है:

- मध्य प्रदेश में, बजटीय प्रावधानों की कमी से बचने हेतु कुल ₹ 16.87 करोड़ की राशि की केन्द्रीय सहायता को 2006-11 के दौरान सिविल जमाओं के अंतर्गत रखा गया था। तथापि, ₹ 11.67 करोड़ मार्च 2011 तक कम था तथा मार्च 2011 को सिविल जमाओं में ₹5.20 करोड़ रखे रहे। औषधि किट, स्कूल पूर्व शिक्षा (स्कू.पू.शि.) किट तथा फर्नीचर पर व्यय किए जाने हेतु बकाया राशि राज्य स्तरीय क्रय समाप्ति पर इन मदों के प्रापण हेतु निर्णय के अभाव के कारण व्यपगत हुई।
- उत्तर प्रदेश में औषधि किटों, स्कूल पूर्व किटों, आ.के. हेतु फर्नीचर, सूचना शिक्षा तथा संचार (सू.शि.सं.) हेतु सामग्री, वजन करने वाली मशीनों, कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद, आं.के. तथा बा.वि.प.का. कार्यालयों सह-गोदामों के निर्माण हेतु ₹24.91 करोड़ की राशि को मार्च 2006-09 के दौरान उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम के निजी बही खाते में जमा कराया गया था तथा इसे अंत में इसके गैर-उपयोग के कारण मार्च 2010 में प्राप्ति शीर्ष में राजकोष में जमा कराया गया था।
- बिहार में, 16 नमूना जांच किए परियोजना कार्यालयों में 31 मार्च 2011 को ₹21.16 करोड़ की राशि को राजकोष से निकाला तथा बैंक खातों में रखा गया था।
- झारखण्ड में, जिला समाज कार्य अधिकारी (जि.स.का.अ.), धनबाद के अभिलेखों ने प्रकट किया कि 2006-11 के दौरान अनुपूरक आहार (अ.आ.) से संबंधित निधियों का प्रत्येक वर्ष कुल ₹3.63 करोड़ तक की बचत की जा रही थी तथा राजकोष में जमा कराया जा रहा था।
- आंध्र प्रदेश में, अंसवितरित वेतन रजिस्टर (अ.वे.र.) से यह देखा गया था कि ₹15.21 करोड़ की राशि संबंधित फर्मों को संवितरण किए बिना 2 महीने से 12 महीनों की बीच की अवधि तक महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, हैदराबाद के आहरण तथा संवितरण अधिकारी के खाते में पड़ी थी।

निधियों के विपणन के मामलों ने अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों को दर्शाया जो कार्यक्रम उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति का कारण भी बने।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि अभ्युक्तियों को राशि की प्रतिपूर्ति/समायोजन सहित शोधक उपायों हेतु संबंधित राज्यों के साथ उठाया जाएगा।

9.4.3 जारी निधियों का गैर-समाधान

वेतन तथा लेखा कार्यालय महिला तथा बाल विकास मंत्रालय (म.बा.वि.) तथा मंत्रालय के बजट अनुभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत 3601 तथा 2235 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज व्यय से संबंधित आकड़ों ने निम्नलिखित विभिन्नताओं को प्रकट किया जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 9.5: निधियों का गैर-समाधान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	बजट अनुभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े	व.ले. का. द्वारा प्रस्तुत आँकड़े	अंतराल
3601	2007-08	5166.12	5161.07	5.05
2235	2006-07	19.38	15.49	3.99
	2007-08	10.32	06.77	3.55
	2008-09	18.85	19.13	0.28

यह आहरण तथा संवितरण अधिकारी (आं.स.अ.) द्वारा जारी निधियों का वेतन तथा लेखा कार्यालय के अभिलेखों के साथ गैर-समाधान के कारण था, जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 66 के तहत अपेक्षित है। मंत्रालय ने बताया कि आंकड़े विनियोग लेखे के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कारणों के कारण बाद में बदले गए।

इसके अतिरिक्त 2006-07 से 2010-11 की अवधि हेतु मंत्रालय की वैबसाइट पर निधियों की राज्य वार निर्गम के आंकड़ों की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दर्ज आकड़ों की तुलना ने निम्नलिखित मामलों में विभिन्नताओं को उजागर किया:

तालिका 9.6: राज्य सरकार के अभिलेखो तथा मंत्रालय के अभिलेखो के अनुसार निधियां

(₹ करोड़ में)

राज्य	अवधि	राज्य सरकार के अभिलेखों के अनुसार प्राप्त निधियाँ	मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार प्राप्त निधियाँ	अंतर (+) अधिक/ (-) कमी
स.बा.वि.से.(सा.) + अ.पो.				
छत्तीसगढ़	2006-11	901.78	893.6	8.17
हरियाणा	2006-11	653.45	684.76	-31.31
मेघालय	2006-11	233.85	240.56	-6.71
मध्यप्रदेश	2006-11	1947.41	2126.14	-178.73
कुल		**3736.49**	**3945.06**	**-208.58**
स.वा.वि.से. (सा.)				
आन्ध्र प्रदेश	2006-11	1619.33	1448.15	171.18
कर्नाटक	2006-11	926.74	921.47	5.27
कुल		**2546.07**	**2369.62**	**176.45**

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान मे राज्य नोडल विभाग द्वारा जारी निधियों तथा जिला कार्यक्रम कार्यालयों जि.का.का. द्वारा प्राप्त निधियों में पर्याप्त अंतर था। 2006-11 के दौरान, तीन राज्यों में जि.का.अ. द्वारा प्राप्त निधियों के आंकड़े राज्य नोडल विभाग द्वारा जारी निधियों के आंकड़ों से क्रमशः ₹ 104.23 करोड़, ₹ 39.52 करोड़ तथा ₹ 1.92 करोड़ तक कम थे। इसके विपरीत, तीन अन्य राज्यों मे जि.का.अ. द्वारा प्राप्त निधियाँ क्रमशः ₹ 72.18 करोड़, ₹55.88 करोड़ और ₹4.31 करोड़ तक अधिक थी (ब्यौरे **अनुबंध 9.5** में दिए गए हैं)। इसने इन राज्यों में राज्य नोडल विभाग से जि.का..अ. को निधि प्रवाह के समाधान की प्रणाली के अभाव को दर्शाया।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि वह मंत्रालय के बजट अनुभाग तथा वेतन तथा लेखा कार्यालय के साथ लेखाओं के उपयुक्त समाधान हेतु पर्याप्त उपाय करेगा।

9.4.4 अभिलेखों का अनुपयुक्त/ गैर-अनुरक्षण

लेखापरीक्षा ने पाया कि स.बा.वि.से. (सा.) निधियों को जारी करने हेतु 2006-11 की अवधि हेतु सहायता अनुदान के रजिस्टर का मंत्रालय में अनुरक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, सात नमूना राज्यों में, यह पाया गया था कि यह कुछ नियंत्रण रजिस्टरों तथा लेखा की सहायक पुस्तकों जैसे कि रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, लॉग बुक आदि का बिल्कुल अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुचित रूप से अनुरक्षण किया गया था। इन मामलों के ब्यौरे **अनुबंध 9.6** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

9.4.5 प्रक्रिया संकेतकों पर रिपोर्टों की अप्राप्ति

मंत्रालय ने परियोजना स्तर तक निधियों के प्रवाह की मॉनीटरिंग हेतु राज्यों/ सं.शा.क्षे. द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रक्रिया संकेतकों पर एक तिमाही रिपोर्ट निर्धारित की थी। नमूना जांच ने प्रकट किया कि 2006-11 के दौरान न तो राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा यह रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही थी न ही मंत्रालय द्वारा इन पर इसके लिए जोर डाला जा रहा था। इसके अतिरिक्त, कुछ रिपोर्टें जो अवधि के दौरान मंत्रालय में प्राप्त की गई थी शोधक उपाय करने हेतु परीक्षित नहीं की जा रही थी।

अनुशंसा

- ***राज्यों/सं.शा.क्षे. को लेखाओं तथा निर्धारित अभिलेखों का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।***